| तारीख हुक्म | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज<br>**न्यायालाय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना**<br>**उनवानी सुनील वगैरा बनाम भूमिधारी मु.सं. 579/2024** |
|---|---|
| 05-05-2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में मोहरसिंह के वारिस श्री राहुल ने पूर्व में शपथ–पत्र पेश किया जो अभिलेख पर लिया जाता हैं। वकील प्रार्थीगण की प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2024 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थीगण भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। |

पत्रावी व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा शपथ–पत्र एवं सीमाज्ञान दिनांकित 11.06.2024 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण सीमाज्ञान दिनांकित 11.06.2024 के मुताबिक भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–

## <u>आदेश</u>

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम राणासर पटवार हल्का आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 971 रकबा 2.02 है0 में प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान/काश्तकारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 11.06.2024 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम[illegible] हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.05.26 12:03:50
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)